

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26052022-236024  
SG-DL-E-26052022-236024

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]	दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2022/ज्येष्ठ 4, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 84
No. 290]	DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2022/JYAISTHA 4, 1944	[N. C. T. D. No. 84

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग  
अधिसूचना

सं. 03/2021-राज्य कर

दिल्ली, 25 मई, 2022

सं. फा. 03(03)/वित्त (व्यय-I)/2022-23/डीएस-I/438.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं. 17/2020-राज्य कर, तारीख 28 अगस्त, 2020, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण में सं. फा. 03(36)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/66, तारीख 28 अगस्त, 2020 के तहत प्रकाशित की गई थी, को सिवाय ऐसी बातों के, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था, अधिक्रांत करते हुए अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जो, -

- (क) भारत का नागरिक नहीं है; या
- (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या स्थापना; या
- (ग) स्थानीय प्राधिकारी; या
- (घ) कानूनी निकाय; या
- (ङ) पब्लिक सेक्टर उपक्रम; या
- (च) उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (9) के प्रावधानों के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उपसचिव-I (वित्त)

### FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

#### No. 03/2021-State Tax

Delhi, the 25th May, 2022

**No. F.3(03)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/438.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of section 25 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council and in supersession of the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-I), No. 17/2020 – State Tax, dated the 28<sup>th</sup> August, 2020, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F3(36)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/66, dated the 28<sup>th</sup> August, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies that the provisions of sub-section (6B) or sub-section (6C) of section 25 of the said Act shall not apply to a person who is,—

- (a) not a citizen of India; or
- (b) a Department or establishment of the Central Government or State Government; or
- (c) a local authority; or
- (d) a statutory body; or
- (e) a Public Sector Undertaking; or
- (f) a person applying for registration under the provisions of sub-section (9) of section 25 of the said Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of  
the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. I (Finance)